**मानवीय कार्यकर्ताओं के लिए यौन आचरण के नियम**

**सेक्स से संबंधित अस्वीकार्य व्यवहार के लिए** - मानवीय कार्यकर्ताओं को **अनुशासित किया जा सकता है** - यहाँ तक कि काम से भी निकाल दिया जा सकता है। उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए:

* मानवीय कार्यकर्ताओं **को किसी १८ वर्ष से कम उम्र वालों के साथ यौन संबंध रखने की अनुमति नहीं है, भले ही यह उनके देश में कानूनी है**। यह कहके कि उनको उस व्यक्ति का असली उम्र का पता नहीं एक वैध बहाना नहीं है।
* मानवीय कार्यकर्ताओं **को पैसे, रोजगार, सामान या सेवाओं से सेक्स के लिए भुगतान करने की अनुमति नहीं है** - सामान और सेवाओं सहित जो ज़रूरतमंद लोगों को सहायता के लिए अभिप्रेत किया गया है। उन्हें इन चीज़ों के वादे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि अन्य लोगों को किसी भी तरह का व्यवहार को स्वीकार कराना जो उन्हें अपमानित करे या उनका शोषण करे । इसमें एक महिला यौनकर्मी के साथ यौन संबंध के लिए भुगतान या भेंट शामिल है।
* जो सामान और सेवाओं को प्राप्त करते हैं मानवीय कार्यकर्ताओं का उन पर प्रभाव होता है। यह उन्हें सत्ता देती है उन लोगों पर जिन्हे सहायता की आवश्यकता होती है। इसी कारण, मानवीय संगठन दृढ़ता से कार्यकर्ताओं को **मानवीय आपातकाल से प्रभावित किसी के साथ यौन सम्बन्ध न करने** को प्रोत्साहित करती है। ऐसे सम्बन्ध मानवीय कार्रवाई को कम ईमानदार और विश्वसनीय बनाती है।
* यदि एक मानवीय कार्यकर्ता **चिंतित है या संदेह** करता है कि उनके संगठन या किसी अन्य सहायता संगठन में कोई भी व्यक्ति मानवीय नियमों के यौन आचरण को तोड़ रहा है, तो उनकी एजेंसी द्वारा **निर्धारित प्रक्रियाओं** के अनुसार, उन्हें इसकी रिपोर्ट **जरूर** करनी चाहिए।
* मानवीय कार्यकर्ताओं को एक ऐसा कार्य वातावरण **बनाना और बनाए** रखना चाहिए जो अस्वीकार्य यौन व्यवहार को रोकथाम करता है और कर्मचारियों को उनके **आचरण संहिता** के अनुसार बर्ताव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। **सभी प्रबंधक** इस कार्य-व्यवस्था को समर्थित और बढ़ावा देने के जिम्मेदार हैं जो इस वतावरण को बनाए रखता है।

यौन शोषण और यौन उत्पीड़न आईएएससी (IASC) के सिद्धांत यहां उपलब्ध हैं: <http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc>. यह सादा-भाषा संस्करण आईएएससी टास्क टीम ऑन अकाउन्टबिलिटी टु अफेक्टेड पॉप्युलेशन्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल एक्स्प्लॉइटेशन एंड अब्यूस विथाउट बॉर्डर्स के सहयोग से विकसित किया गया था।